झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वर्ग नवम, सत्र 2011-13 के पंजीकृत एवं सत्र 2012-14 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञप्ति संख्या - 67/2012

एतद् द्वारा राज्य के सभी कोटि के सत्र 2011-13 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2013 एवं सत्र 2012-14 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2014 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि

* वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2013 (सत्र 2011-13) के कम्प्यूटरीकृत पंजीयन का चेकलिस्ट संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को दिनांक 30/08/2012 तक प्राप्त करा दिया जाएगा। विद्यालय प्रधान अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत इसे प्राप्त कर लेंगे। उक्त सूची में सभी प्रकार की त्रुटियों के निराकरण हेतु चेकलिस्ट के साथ एक निर्देश पत्र भेजा जा रहा है। निर्देश पत्र के आलोक में चेकलिस्ट को संशोधित कर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में **दिनांक 15.09.2012** तक अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे ताकि त्रुटि रहित पंजीयन रसीद का मुद्रण ससमय कराया जा सके। निर्धारित समय पर संशोधित चेकलिस्ट जमा नहीं होने पर किसी भी त्रुटि के लिए विद्यालय प्रधान दोषी माने जायेंगे।
* परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2011-13 के लिए पंजीयन शुद्धता की जाँच ON-LINE छात्र द्वारा किया जा सकता है। यदि ON-LINE पंजीयन में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो छात्र/छात्रा इस आशय की सूचना संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को देंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक अभिलेखों से मिलान के पश्चात् यदि छात्र का पक्ष सही पायेंगे तो तदनुसार ON-LINE संशोधन किया जाएगा। इस निमित परिषद् पत्रांक JAC/Inter/17147/12/Secy/340/12 दिनांक 17.08.2012 द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्रत्येक विद्यालय का ई-मेल आई.डी. की मांग की गयी है। संबंधित विद्यालय प्रधान तत्काल E-mail ID उपलब्ध करायेंगे।
* सत्र 2012-14 के नवम वर्ग के छात्र/छात्राओं का सादा पंजीयन प्रपत्र सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जा रहा है। **दिनांक 30.08.2012 से 05.09.2012** तक सभी विद्यालय प्रधान स्वयं या अपने विशेष दूत के माध्यम से सादा पंजीयन आवेदन प्रपत्र एवं पंजीयन आवेदन प्रपत्र भरने के संबंध में निदेश प्राप्त कर सकते हैं।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के प्रधानों को उनके पंजीयन एवं अनुमति आवेदन-प्रपत्रों को अग्रसारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है:-

1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय।
2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981-82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।
4. अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यो को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी विद्यालयों की संरचना के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है।

उक्त क्रियाशीलन के अनुश्रवण (Monitoring) के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

स्वतंत्र छात्र/छात्राएँ जिन विद्यालयों से पंजीकृत होंगे वे वर्ग नवम् की वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यालय से ही सम्मिलित होंगे।

1) स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय,आचरण प्रमाण पत्र एवं जिन स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पास आधिकारिक आयु प्रमाण पत्र नहीं है, वे स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से आयु प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी पब्लिक से तत्संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी मूल प्रति आवेदन-प्रपत्र के साथ संलग्न करेगें।
2) पंजीयन आवेदन-प्रपत्र में विषयों का चयन अच्छी तरह पढ़कर ही किया जाय।
3) दिनांक **01.03.2000** के बाद की जन्मतिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा जिसकी जिम्मेवारी छात्र/छात्रा एवं प्रधानाध्यापकों की होगी।
4) पंजीयन आवेदन-प्रपत्र दो प्रतियों में है, जिसमें श्वेत-श्याम (Black & White) फोटो ही चिपकावें। आवेदन-प्रपत्र के पहले भाग (कार्यालय प्रति) के फोटो विद्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित होगा तथा दूसरे भाग (कम्प्युटर प्रति) के फोटो बिना अभिप्रमाणित तथा बिना मुहर का ही होगा।
5) फोटो के बाक्स के नीचे दिए छोटे बाक्स में ही छात्र/छात्रा को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
6) पंजीयन आवेदन-प्रपत्र काली स्याही से ही भरे जायेंगे। आवेदन-प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट एवं सही भरे जायें अन्यथा अशुद्धि होने पर संशोधन नहीं किया जायेगा।
7) पंजीयन आवेदन-प्रपत्र पर ओवर राइटिंग, काट-छाँट होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
8) स्वतंत्र परीक्षार्थियों को झारखण्ड राज्य के निवासी होने का आवासीय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
9) डाक द्वारा भेजा गया आवेदन-पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: 1) कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को उत्प्रेषित नहीं करेगें।
2) किसी भी पुराने आवेदन-प्रपत्र का उपयोग नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो पंजीयन स्वीकार नहीं होगा।
3) सभी प्राचार्यो/प्रधानाध्यापकों, अभिभावकों, छात्र/छात्राओं एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि **पंजीयन आवेदन से संबंधित शुल्कादि एवं तिथि बाद में प्रकाशित की जायेगी।**

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा. /7648/10/SECY/366/12
Dt. 25.08.12
D.O.P : 26.08.12